

मध्यप्रदेश शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

परिपत्र-क्र-17

क्रमांक: 41/PS/PA/श्रम/2018
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई, 2018

1. समस्त संभागायुक्त,
मध्य प्रदेश।
2. समस्त कलेक्टर,
मध्य प्रदेश।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, मध्य प्रदेश।
4. समस्त आयुक्त / मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगरीय निकाय, मध्य प्रदेश।
5. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम अधिकारी
मध्यप्रदेश

विषय:- असंगठित श्रमिक रूप में पंजीयन हेतु परिवार के सदस्यों की पात्रता के संबंध में।

--00--

उपरोक्त विषय में उल्लेख है कि ऐसे व्यक्ति जो शासकीय सेवा में हों या आयकर दाता हों या जिसके पास 2.5 एकड़ से अधिक भूमि हो, असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीयन की पात्रता नहीं रखता है।

उपरोक्त के साथ यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि :-

1. पति अथवा पत्नी के शासकीय सेवा में कार्यरत होने पर दोनों ही असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीयन हेतु पात्र नहीं होंगे।
2. पति अथवा पत्नी आयकर दाता हैं तो दोनों ही असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीयन हेतु पात्र नहीं होंगे।
3. पति अथवा पत्नी यदि 2.5 एकड़ से अधिक भूमि धारित करते हैं तो दोनों ही असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीयन हेतु पात्र नहीं होंगे।

असंगठित श्रमिकों के पंजीयन, हितलाभ वितरण तथा योजना के क्रियान्वयन में उपरोक्त पात्रता को ध्यान में रखा जाना सुनिश्चित करें।

(संजय दुबे)

प्रमुख सचिव

म.प्र.शासन, श्रम विभाग

भोपाल, दिनांक 30/7/18

पृ.क्रमांक/ 42/श्रमवि/2018
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
2. श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर ।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(संजय दुबे)

प्रमुख सचिव

म.प्र.शासन, श्रम विभाग